



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 — फाल्गुन 29, शक 1944

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2023

क्रमांक 99/सी.एस.ई.आर.सी./2023.— विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50, धारा 181(2)(टी) सहपठित धारा 181(2)(X) तथा धारा 43(1), 46, 47(1) एवं 47(4) के प्रावधानों सहपठित धारा 181(1), 181(2)(वी) तथा 181(2)(डब्ल्यू) में प्रदत्त शक्तियों को बरतते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतद् पश्चात्, आयोग) के द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता-2011” (एतद् पश्चात्, प्रदाय संहिता) तथा इसके प्रथम एवं द्वितीय संशोधन अधिसूचित किये जा चुके हैं। प्रदाय संहिता के कार्यफल के अनुभवों के आधार पर एवं प्रदाय संहिता की कंडिका 1.6 के तहत गठित पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ संशोधन जरूरी हो गये हैं।

आयोग, प्रदाय संहिता की कंडिका 1.10 में प्रदत्त शक्तियों को प्रसंग में लाते हुए, टिप्पणीयों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद, प्रदाय संहिता में निम्नलिखित संशोधन करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**
 - यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023 के नाम से जानी जाएगी।
 - इस संहिता के प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशन के एक महीने बाद के आने वाले महीने के पहले दिन से लागू होंगे।
 - इस संहिता में इस्तेमाल किये गये ऐसे अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, का अभिप्राय वही होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 (एतद् पश्चात् मूल संहिता कहकर संबोधित) में अभिप्रेत है।
- मूल संहिता में कंडिका 2.1(ओ) जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः:**

2.1(ओ) ‘संबद्ध भार’ से अभिप्रेत है — उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा की खपत करने वाले समस्त उपकरण जो विद्युत की मुख्य धारा से संयोजित हैं तथा एक साथ उपयोग किये जा सकते हैं की उत्पादक द्वारा दी गयी सकल रेटिंग। इसे के. डब्ल्यू. या एच.पी. इकाईओं से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इस संहिता की ‘उपकरणों की रेटिंग’ की कंडिका 5.48 में निहित प्रक्रिया के द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।

3. मूल संहिता में कंडिका 3.4 जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः

3.4 आपूर्ति हेतु वोल्टेजवार न्यूनतम व अधिकतम संविदा मांग सामान्यतः निम्नानुसार होगी:-

विद्युत प्रदाय की वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
230 वोल्ट	—	5 किलोवॉट*
440 वोल्ट	5 किलोवॉट	150 हार्स पावर तक अथवा 112 किलोवॉट
11 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए.	500 के.व्ही.ए.
33 के.व्ही.	60 के.व्ही.ए.	15000 के.व्ही.ए.
132 के.व्ही.	4000 के.व्ही.ए.	40000 के.व्ही.ए.
220 के.व्ही.	15000 के.व्ही.ए.	150000 के.व्ही.ए.

*कृषि / औद्योगिक तथा गैर-डी.एल.एफ. इन मानदण्डों के अपवाद है जिसके लिए कमतर भारों के लिए भी 3 फेज कनेक्शन दिये जा सकते हैं।

परंतु यह कि तकनीकी कारणों के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के अनुमोदन के उपरान्त, उपरोक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकता है। उच्च व अति उच्चदाब उपभोक्ता की संविदा मांग यदि उपर्युक्त अधिकतम संविदा मांग से अधिक होती है तो आयोग द्वारा, सुसंगत टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार उन पर लगाया जाएगा।

परंतु यह भी कि उन मामलों में जहाँ पहुँच पाना कठिन हो, अनुज्ञप्तिधारी उन निम्नदाब उपभोक्ताओं के लिए उच्चदाब मीटर स्थापित कर सकता है, जिनकी अधिकतम संविदा मांग 50 एच.पी. या 37.5 कि.वा. से अधिक है। ऐसे उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की बिलिंग 3 प्रतिशत ट्रांसफार्मेशन हानि को ध्यान में रखते हुए, लागू निम्नदाब टैरिफ के अनुसार की जाएगी।

4. मूल संहिता का विनियम 4.20(i)(ए) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:

4.20(i) किसी उपभोक्ता को पूरे परिसर के लिये एक बिन्दु पर विद्युत प्रदाय की जाएगी। आपूर्ति की निबंधनों एवं शर्तों के उद्देश्य से परिसर को पृथक् निरूपित किया जाएगा -

(ए) यदि विभिन्न व्यक्तियों के स्वामित्व में हो या विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा लीज पर या किराए पर लिया गया हो, घरेलु, सिंगल फेज, गैर-घरेलु तथा सड़क बत्ती के उद्देश्य से संयोजनों के मामले में संयोजन के समय किराए अथवा लीज की अवधि की वैधता किसी भी अवधि की हो तथा घरेलु, सिंगल फेज, गैर-घरेलु तथा सड़क बत्ती से भिन्न उद्देश्य से संयोजनों के मामले में संयोजन के समय न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि की हो।

5. मूल संहिता में कंडिका 4.51 टीप (vi) जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः

4.51 टीप (vi) विद्युतिकृत बहु उपभोक्ता काम्पलेक्स/हाउसिंग कालोनी के पूर्ण / आंशिक हस्तांतरण के पश्चात, यदि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि) निर्धारित भार या संगणित भार से अधिक के लिए आवेदन करता है तो आवेदक से संबंधित भार के लिए विनियम 4.3 के अनुसार व्यवहार किया जायेगा।

परंतु यह कि वैयक्तिक आवेदक (जैसे आवास स्वामी, दुकान का स्वामी आदि), वैयक्तिक कनेक्शन के समय पूर्व में निर्धारित भार या संगणित भार पर पृथक से कोई आपूर्ति सामर्थ्य प्रभार का भुगतान नहीं करेगा।

6. द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 4.52 के उपविनियम (i) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.52(i) भवन/भवनों के समूह, जो सामान्यतः इस संहिता के विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित, 112 किलोवाट या अधिक के कुल भार के लिए एक या एक से अधिक निम्न दाब कनेक्शनों की अपेक्षा करते हैं, को विद्युत आपूर्ति के प्रयोजन के लिए बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स के रूप में समझे जायेंगे। बहु-उपभोक्ता काम्पलेक्स में आवासीय, गैर आवासीय एवं वाणिज्यिक काम्पलेक्स, हाउसिंग कालोनी, आफिस काम्पलेक्स, शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान आदि शामिल होंगे।

7. द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 4.52 के उपविनियम (iii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.52(iii) बाह्य विद्युतीकरण कार्य जैसे कि 11 के.वी. लाइन का विस्तारीकरण, वितरण ट्रांसफॉर्मर उप-स्थानक (वितरण ट्रांसफॉर्मर को छोड़कर) तथा कॉलोनी के दायरे में निम्न दाब लाइन / तार बिछाना, विकासकर्ता / निर्माणकर्ता / आवासीय समिति / उपभोक्ता समूह / उपभोक्ता जो बाह्य विद्युतीकरण हेतु आवेदन करता है अपनी स्वयं की लागत पर करवाएगा। उपरोक्त विस्तार कार्य, प्राक्कलित लागत का भुगतान पर्यवेक्षण प्रभारों सहित करके, अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा भी निष्पादित करवाए जा सकते हैं। वितरण ट्रांसफॉर्मर, पैकेज टाईप उप-स्थानकों के मामलों को छोड़कर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित किये जाएंगे। वितरण ट्रांसफॉर्मर की लागत का भुगतान कॉलोनाईजर के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जो बहु-उपभोक्ता परिसर / आवासीय कॉलोनी की आवश्यकता के आधार पर ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना करेगा।

8. द्वितीय संशोधन विनियम के विनियम 4.52 के उपविनियम (vii) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

4.52.(vii) यदि विनियम 4.51 के अनुसार निर्धारित भार 3000 कि.वा. से अधिक है किन्तु 5550 कि.वा. से अधिक नहीं है तो आवेदक परियोजना क्षेत्र के परिसर के भीतर अथवा परिसर से जुड़ा हुआ, आवश्यक भू-खण्ड जो 40X30 मीटर से कम न हो और यदि भार 5550 कि.वा. से अधिक एवं 10,000 कि.वा. से कम हो तो भू-खण्ड जो 50X40 मीटर से कम न हो, अपने स्वयं के लागत पर अनुज्ञप्तिधारी को 33/11 कि.वो. सब-स्टेशन के निर्माण के लिए रुपये 1/- के सांकेतिक प्रीमियम में उपलब्ध करायेगा। सब-स्टेशन की अवस्थिति आवेदक की सहमति से क्षेत्र के प्रभारी अभियंता द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

परंतु यह कि, यदि आवेदक द्वारा कम भूमि / कक्ष मुहैया करवाया जाता है जहाँ सिर्फ जी.आई.एस. उप-स्थानक / सघनित वितरण ट्रांसफॉर्मर केंद्र ही बैठाया जा सकता है, तब पारम्परिक एवं जी.आई.एस. उप-स्थानक जिसमें सहायक यंत्र शामिल हैं, की अंतर की लागत पूर्णतः विकासकर्ता / निर्माणकर्ता / आवेदक के द्वारा वहन की जाएगी तथा इसका कोई पुनर्भुगतान नहीं किया जाएगा। यह रख-रखाव, अग्नि तथा अन्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु सुगम प्रवेश के अध्वधीन होगा।

9. मूल संहिता के विनियम 4.53 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:

4.53 नगर निगम/ नगर परिषद्/नगर पंचायत के द्वारा चिन्हित की गयी अथवा प्रमाणित अर्द्धविकसित / अवैध घोषित कॉलोनियां

ऐसे कई मामले हैं जहाँ किसी विकासकर्ता / निर्माणकर्ता या विकासकर्ताओं / निर्माणकर्ताओं के समूह द्वारा भू खंडों या भवनों का अंशतः अथवा पूर्णतः विकास और निर्माण किया गया है, परन्तु उसके लिये, राज्य शासन / स्थानीय निकायों / सक्षम प्राधिकारियों से समुचित विधियों और नियमों के अधीन आवश्यक अनुमति/सहमति नहीं ली गयी है और लाइन विस्तार कार्य प्रारंभ या पूर्ण नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में सामान्यतः भू-खंडों / भवनों का क्रेता व्यक्ति विद्युत संयोजन हेतु आवेदन दे सकता है। ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता को, बाह्य विद्युतीकरण के कुछ व्ययों को वहन करने हेतु निश्चित लागत के भुगतान के बाद, विद्युत संयोजन दिया जा सकता है।

ऐसे इलाकों के विद्युतीकरण हेतु अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

- i. ऐसे इलाकों के उपभोक्ता(ओं) के आवेदन(नों) की प्राप्ति होने पर अनुज्ञप्तिधारी यह शिनाख्त / सुनिश्चित करेगा कि वह इलाका अर्द्धविकसित / अवैध घोषित कॉलोनी है जैसा कि नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत या स्थानीय निकायों के द्वारा शिनाख्त या प्रमाणित किया गया है।

- ii. तदुपरांत अनुज्ञप्तिधारी, प्रवृत्त(लागू) प्रदाय संहिता के आधार पर, संयोजित भार एवं विद्युतीकरण की प्राक्कलित लागत का निर्धारण करेगा।
 - iii. उपरोक्त प्राक्कलन पर आधारित विद्युतीकरण की लागत प्रति किलोवाट (बाह्य विद्युतीकरण या 33 के.वी. या 11 के.वी. लाइन का विस्तारीकरण, कॉलोनी के दायरे के भीतर / बाहर ट्रांसफॉर्मर्स, जो भी लागू हो), अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वृहद प्रसार हेतु समाचार पत्रों में घोषित तथा प्रकाशित की जाएगी। विद्युतीकरण के वास्ते उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, 5000 रुपये प्रति किलोवाट से अधिक नहीं होंगे।
 - iv. ऐसी कॉलोनी में विद्युतीकरण कार्य प्रारंभ करने हेतु उपरोक्त पैरा ii के तहत निर्धारित प्राक्कलित लागत का न्यूनतम 25% जमा कर दिया जाना चाहिये। यदि यह 25% उपभोक्ता(ओं) से उगाहे गये प्रभारों से हासिल नहीं हुए हों, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक(कों) को, एम.पी. / एम.एल.ए. / भारत सरकार / छ.ग. सरकार / प्रशाद निधि / पंचायत निधि / जिला खनिज फंड(डी.एम.एफ.) या अन्य किसी योजना से, 25% पूर्ण करने हेतु, धन की व्यवस्था करवाने की ताकीद कर सकता है। बकाया 75% का योगदान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, पूंजी निवेश योजना के तहत सामान्य विकास निधि (एन.डी.एफ.) से, किया जाएगा।
 - v. जिस इलाके के लिये उपभोक्ताओं के द्वारा भुगतान किया गया हो उस इलाके का कार्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभागीय कार्य के बतौर किया जाएगा।
 - vi. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की गई धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं के कार्यों के लिये होना चाहिये, जिसकी निगरानी मुख्य अभियंता से अन्यून(नॉट बिलो) स्तर के अधिकारी के द्वारा की जाएगी।
 - vii. यदि उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त धनराशि उस वित्तीय वर्ष के दौरान जमा नहीं कराई जाती जिस में प्राक्कलन स्वीकृत हुआ हो, तब उपभोक्ता द्वारा 7% प्रतिवर्ष या उसका भाग, आवेदन देते समय अतिरिक्त जमा करवाना होगा।
 - viii. उक्त कॉलोनी में आगामी संयोजन हेतु उपभोक्ताओं को रुपये 5000/- प्रति किलोवाट भुगतान करना होगा।
10. विनियम 4.58 जिसे द्वितीय संशोधन विनियम के द्वारा संशोधित किया गया था, निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है:
- 4.58 नये संयोजन तथा भार में वृद्धि से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने हेतु सारणी**
- अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने की कार्यवाही निम्नलिखित सारणी में दर्शित नियत अवधि के भीतर की जाएगी। इस संहिता

के उद्देश्य वास्ते शहरी क्षेत्र का तात्पर्य है, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा शहरी क्षेत्र को छोड़कर अन्य का तात्पर्य है, ग्रामीण क्षेत्र:-

क्रम संख्या	सेवा का प्रकार	सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा
1.	निम्नदाब (एल.टी.) कनेक्शन	
(ए)	पूर्ण आवेदन प्राप्ति उपरांत स्थल निरीक्षण के लिए उपभोक्ता को सूचना जारी करना	03 कार्य दिवस
(बी)	सूचना भेजने उपरांत निरीक्षण करना शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	02 कार्य दिवस 05 कार्य दिवस
(सी) (i)	निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य की आवश्यकता नहीं हो और कनेक्शन विद्यमान पारितंत्र (नेटवर्क) से दिया जाना है) शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	05 कार्य दिवस 07 कार्य दिवस
(ii)	निरीक्षण उपरांत आवेदक को प्राक्कलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (यदि विस्तार कार्य या ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है) शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	15 कार्य दिवस 22 कार्य दिवस
(डी)	जहां लाइन विस्तार कार्य आवश्यक न हो/लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर – आवेदक द्वारा आवश्यक प्रभारों के भुगतान करने, अनुबंध करने तथा परीक्षण प्रतिवेदन पेश करने के उपरांत कनेक्शन प्रदान करना लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर/जहां लाइन विस्तार कार्य आवश्यक न हो – (ए) सामान्य घरेलु संयोजन शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र (बी) गैर-घरेलु संयोजन शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	7 दिवस 15 दिवस 15 दिवस 30 दिवस
(ई)	कार्य पूर्ण करने की अवधि यदि विस्तार कार्य / वितरण मुख्य-पथ को सशक्त करना आवश्यक हो (ए) कृषि कनेक्शन, को छोड़कर बाकी सभी कनेक्शन शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र (बी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुँच उपलब्ध है। (सी) कृषि कनेक्शन, ऐसे मौसम में जब खेत तक पहुँच उपलब्ध नहीं है।	90 दिन 120 दिन 90 दिन, बशर्ते विस्तार कार्य की लागत पूर्ण कर दी गयी हो 180 दिन, बशर्ते विस्तार कार्य की लागत पूर्ण कर दी गयी हो

2.	उच्च दाब (एच.टी.) कनेक्शन (ए) आवेदन मिलने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना (बी) प्राकलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (साध्यता सूचना जारी होने के बाद) (सी) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि (डी) i) अनुज्ञापिधारी द्वारा विस्तार कार्य पूर्ण करने, मीटर एवं मीटरिंग यंत्र की स्थापना करने के उपरांत तीन महीने का नोटिस जारी करना ii) अनुज्ञापिधारी द्वारा विस्तार कार्य पूर्ण करने तथा आवेदक द्वारा विद्युत निरीक्षक की अनुमति पेश करने के उपरांत भार प्रेषित करना	7 दिन 30 दिन 90 दिन 7 दिन 7 दिन
3.	अति उच्चदाब (ई.एच.टी.) कनेक्शन (ए) आवेदन पत्र, संयोजकता सहमति सहित, यदि जरूरी हो, प्राप्त होने पर उपभोक्ता को साध्यता सूचना जारी करना (बी) साध्यता सूचना जारी करने के बाद प्राकलित प्रभार का मांग पत्र जारी करना (सी) भुगतान उपरांत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण करने की अवधि (डी) लाइन विस्तार कार्य पूर्ण होने पर आवेदक द्वारा आवश्यक प्रभारों का भुगतान करने, अनुबंध करने, मुख्य विद्युत निरीक्षक से अनुमति की प्राप्ति के अध्येन, कनेक्शन प्रदान करने की अवधि	30 दिवस 60 दिन 180 दिन 30 दिन

11. मूल संहिता के विनियम 5.52 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है:

5.52 प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संयोजित भार में 3 अश्वशक्ति या अधिक के इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर उपयुक्त क्षमता का निम्नदाब शंट कैपेसिटर समस्त मोटरों के टरमिनलों पर लगाने की व्यवस्था करेंगे। 1500 आघूर्ण प्रति मिनट (आर.पी.एम.) के इन्डक्शन मोटर के टरमिनल पर सीधे लगाए जाने वाले कैपेसिटर का अनुशंसित मान सामान्य मार्गदर्शन हेतु परिशिष्ट 11 में दर्शित है। तथापि उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए कैपेसिटर, मोटर की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप है, ताकि आयोग द्वारा समय-समय पर टैरिफ आदेशों में विनिर्दिष्ट औसत मासिक पावर फेक्टर सुनिश्चित हो सके। जहाँ ऐसे मीटर लगे हैं जो पावर फेक्टर अंकित करते हैं, मीटर द्वारा अंकित पावर फेक्टर ही मासिक पावर फेक्टर होगा, भले ही किसी भी क्षमता का कैपेसिटर लगा हो।

परन्तु यह कि जहाँ लगाये गये मीटर, भार के औसत मासिक पावर फेक्टर अंकित नहीं कर सकते वहाँ परिशिष्ट 11 में संबंधित मोटर की क्षमता के समक्ष

दर्शित क्षमता वाले, कार्यशील दशा में पाये गये, केपेसिटर की क्षमता उपयुक्त मानी जायेगी।

12. मूल संहिता में विनियम 6.4 जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थपित किया गया था, को पुनः प्रतिस्थपित किया जाता है :

6.4 किसी नये संयोजन के मामले में अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा राशि ले सकता है जिसकी गणना अनुबंधित भार/अनुबंधित मांग के आधार पर एच.पी./के.डब्ल्यू या के. वी., यथा प्रकरण तथैव, जैसा प्रदाय अनुबंध में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिये हो, निम्नांकित रीति से की जाएगी :-

क्रमांक	संवर्ग	सुरक्षा राशि की गणना हेतु निर्धारित खपत प्रतिमाह (30 दिवस)
01	घरेलु	i) 100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश ii) 25 इकाई प्रति 250 वॉट्स या उसका अंश
02	गैर-घरेलु	i) 100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश ii) 25 इकाई प्रति 250 वॉट्स या उसका अंश
03	जल उपक्रम	150 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश या 110 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
04	निम्नदाब औद्योगिक	100 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश या 75 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
05	कृषि	100 इकाई प्रति एच.पी. या उसका अंश
06	सड़क बत्ती	180 इकाई प्रति के.डब्ल्यू. या उसका अंश
07	उच्चदाब एवं अति उच्चदाब उपभोक्ता	250 इकाई प्रति के.वी.ए. या उसका अंश

13. मूल संहिता में विनियम 6.9 जिसे पूर्व में प्रथम संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थपित किया गया था, को पुनः प्रतिस्थपित किया जाता है :

6.9 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी उपभोक्ता से ली गई सुरक्षानिधि की राशि का पुनरीक्षण, प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में पूर्ववर्ती 12 माह के दौरान उसकी वार्षिक खपत के आधार पर किया जायेगा। इस पुनरीक्षण के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी औसत खपत के समतुल्य सुरक्षानिधि की राशि का निर्धारण संहिता के खण्ड 6.5 में उल्लिखित उस अवधि हेतु प्रयोज्य दर (टैरिफ) के अनुसार करेगा। यदि पुनरीक्षण पर, निम्नदाब के प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित सुरक्षा निधि की राशि में +/- 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन (वृद्धि या कमी) होता है और उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में रु. 10,000/- से अधिक का परिवर्तन होता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक मांग अथवा वापसी की जायेगी।

14. मूल संहिता के विनियम 7.28 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है :
- 7.28 कार्यों को पूर्ण करने के लिये प्रभारों के भुगतान की तिथि से निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाएगा :
- (1) मीटर/सर्विस लाईन को स्थानांतरित करना : 7 दिवस
 - (2) निम्नदाब/ उच्चदाब लाईन को स्थानांतरित करना : 60 दिवस
 - (3) ट्रांसफॉर्मर को स्थानांतरित करना : 60 दिवस
15. मूल संहिता के विनियम 9.18 को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थपित किया जाता है :
- 9.18 बिलिंग का आकलन वास्तविक एम.आर.आई. आंकड़ों, जहाँ ये उपलब्ध हैं, के अनुसार होगी तथा अन्य मामलों में बिलिंग का आकलन, उस माह को सम्मिलित करते हुए जिसमें आकलन किया गया हो 6 माह या वास्तविक समय जब से मीटर सही कार्यरत नहीं पाया गया है जो भी कम हो की अवधि का किया जायेगा तथा मीटर के बदलने तक निरंतर जारी रहेगा।
16. मूल संहिता के विनियम 10.2 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थपित किया जाता है :
- 10.2 अनुज्ञप्तिधारी, संग्रहण केंद्रों तथा ऐसे बैंकों जहाँ उपभोक्तागण भुगतान कर सकते हैं, के पते / स्थल तथा कार्यशील घंटे का भरपूर प्रचार, सुनिश्चित करेगा। विभिन्न धन-राशिओं हेतु भुगतान के तरीके सुसंगत वर्ष के टैरिफ आदेश के माध्यम से शासित होंगे।
17. मूल संहिता के विनियम 10.5 को रद्द किया जाता है :
18. मूल संहिता के विनियम 11.12 के पश्चात एक नवीन विनियम 11.12(ए) जोड़ा जाता है :
- 11.12(ए) यदि 25% या उससे कम भार का उपयोग उस उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिये किया जाता है जिसके लिये कनेक्शन हासिल किया गया है, तब उपयोग किये गये उद्देश्य हेतु आनुपातिक देयकांकन (प्रपोर्शनेट बिलिंग) किया जा सकता है। देयकांकन कंडिका 11.12 के अनुसार किया जा सकता है।
- टीप:- इस विनियम के हिन्दी संस्करण की अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता./—

(सूर्य प्रकाश शुक्ला)
सचिव.



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 100]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च 2023 — फाल्गुन 29, शक 1944

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2023

क्रमांक 99/सी.एस.ई.आर.सी./2023.— विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 50, धारा 181(2)(टी) सहपठित धारा 181(2)(X) तथा धारा 43(1), 46, 47(1) एवं 47(4) के प्रावधानों सहपठित धारा 181(1), 181(2)(वी) तथा 181(2)(डब्ल्यू) में प्रदत्त शक्तियों को बरतते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतद् पश्चात्, आयोग) के द्वारा “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता-2011” (एतद् पश्चात्, प्रदाय संहिता) तथा इसके प्रथम एवं द्वितीय संशोधन अधिसूचित किये जा चुके हैं। प्रदाय संहिता के कार्यफल के अनुभवों के आधार पर एवं प्रदाय संहिता की कंडिका 1.6 के तहत गठित पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर कुछ संशोधन जरूरी हो गये हैं।

आयोग, प्रदाय संहिता की कंडिका 1.10 में प्रदत्त शक्तियों को प्रसंग में लाते हुए, टिप्पणीयों एवं सुझावों पर विचार करने के बाद, प्रदाय संहिता में निम्नलिखित संशोधन करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**
 - यह संहिता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता (तृतीय संशोधन), 2023 के नाम से जानी जाएगी ।
 - इस संहिता के प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में प्रकाशन के एक महीने बाद के आने वाले महीने के पहले दिन से लागू होंगे ।
 - इस संहिता में इस्तेमाल किये गये ऐसे अन्य सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो इसमें परिभाषित नहीं किये गये हैं, का अभिप्राय वही होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता 2011 (एतद् पश्चात् मूल संहिता कहकर संबोधित) में अभिप्रेत है।
- मूल संहिता में कंडिका 2.1(ओ) जिसे पूर्व में द्वितीय संशोधन संहिता के मार्फत प्रतिस्थापित किया गया था, पुनः प्रतिस्थापित की जाती है, नामतः:**

2.1(ओ) ‘संबद्ध भार’ से अभिप्रेत है — उपभोक्ता के परिसर में ऊर्जा की खपत करने वाले समस्त उपकरण जो विद्युत की मुख्य धारा से संयोजित हैं तथा एक साथ उपयोग किये जा सकते हैं की उत्पादक द्वारा दी गयी सकल रेटिंग। इसे के. डब्ल्यू. या एच.पी. इकाईओं से अभिव्यक्त किया जाएगा तथा इस संहिता की ‘उपकरणों की रेटिंग’ की कंडिका 5.48 में निहित प्रक्रिया के द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है।

Raipur, the 13th March 2023

NOTIFICATION

No. 99/CSERC/2023.— In exercise of the powers vested section 50, Section 181(2)(t) read with 181(2)(x) and the provisions of Section 43(1), 46, 47(1) and 47(4) read with Section 181(1), 181(2)(v) and 181(2)(w) of the Electricity Act 2003 the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (herein after, the Commission) has notified "Chhattisgarh State Electricity Supply Code-2011" (herein after, the Supply Code) and its first and second amendments. On the basis of the experience of working of the Supply Code and the recommendation of the review committee constituted under clause 1.6 of the Supply Code, certain amendments have become necessary.

The CSERC, in exercise of the powers vested in it under Clause 1.10 of the Supply Code, after considering the comments and suggestions, amend the Supply Code.

Chhattisgarh State Electricity Supply Code (Third Amendment), 2023

1. **Short title and commencement:**
 - 1.1 This Code shall be called the "Chhattisgarh State Electricity Supply Code (Third Amendment) 2023.
 - 1.2 Provisions of this code shall come into force from the first day of the month succeeding the one months of publication in the Official Gazette of the State of Chhattisgarh.
 - 1.3 All other words and expressions used in this Code, but not defined, shall have the same meaning as is in the Chhattisgarh State Electricity Supply Code, 2011 (herein after referred to as the principal code).
2. **In the Principal Code, clause 2.1(o) as previously substituted vide second amendment Code shall further be substituted, namely:**
 - 2.1 (o) 'Connected Load' means aggregate of the manufacturer's rating of all energy consuming devices, in the consumer's premises, which are connected to electricity mains and which can be simultaneously used. This shall be expressed in KW or HP units and can also be determined as per the procedure laid down in Clause 5.48 on 'Rating of Installations' in this Code.

3. In the Principal Code, clause 3.4 as previously substituted vide second amendment Code shall further be substituted, namely:

3.4 The supply voltage-wise minimum and maximum contract demands shall normally be as follows:

Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
230 volts	-	5 KW*
440 volts	5 KW	Up to 150 HP or 112 KW
11 KV	60 KVA	500 KVA
33 KV	60 KVA	15000 KVA
132 KV	4000 KVA	40000 KVA
220 KV	15000 KVA	150000 KVA

*Agriculture/Industrial and Non-DLF are excluded from these criteria and can be provided 3 phase connections for lower loads also.

Provided that due to technical reasons, the licensee may relax above provision after due approval of the Commission. The HT and EHT consumers having contract demand exceeding the maximum limit as prescribed above, shall be levied additional charges as specified by the Commission in relevant tariff order.

Provided also that in cases which are having difficult accessibility, licensee may install HT meters for LT consumers having maximum contract demand above 50 HP or 37.5 kW. Billing of electricity supplied to such consumers shall be done as per applicable LT tariff considering 3% transformation loss.

4. Regulation 4.20(i)(a) of the Principal code is substituted by the following:

4.20(i) Electricity will be supplied to a consumer at a single point for the entire premises. For the purpose of terms and conditions of supply, premises shall be deemed to be separate-

(a) if owned by different persons or taken on lease or rent by different persons, the term of rent or lease being valid for any period at the time of connections for purposes like domestic, single phase non-domestic and street light and for a period of at least 02 years at the time of connection for purposes other than domestic, single phase non-domestic and street light.

5. In the Principal Code, clause 4.51 Note (vi) as previously substituted vide second amendment Code shall further be substituted, namely:

4.51. Note (vi) After complete/partial handing over of electrified multi consumer complex/housing colonies, if individual applicant (like house owner, shop owner etc) applies for load more than the assessed load or computed load, the applicant shall be treated as per Regulation 4.3 applicable for normal consumer for the enhanced load.

Provided that individual applicant (like house owner, shop owner etc.) shall not pay any separate supply affording charge on the already assessed load or computed load at the time of individual connections.

6. Regulation 4.52 sub Regulation (i) of the Second Amendment Regulation is substituted by the following:

4.52 (i) A building or a group of buildings which normally require(s) one or more than one LT connections for a total load of 112 KW or above, assessed as per Regulation 4.51 of this Code, shall be treated as multi consumer complex for the purpose of electric supply. A multi consumer complex shall include residential, non-residential and commercial complexes, housing colony, office complexes, educational and training institutions etc.

7. Regulation 4.52 sub Regulation (iii) of the Second Amendment Regulation is substituted by the following:

4.52 (iii) The external electrification such as extension of 11 KV line, distribution transformer sub-station (excluding distribution transformer) and laying LT lines/cables within the colony shall be done by developer/ builder/housing society/group of consumers/ consumer, who applies for the external electrification at it's own cost. The extension work as mentioned above can also be got executed from the licensee by paying estimated cost along with supervision charges. The distribution transformer except in case of package type substation shall be installed by licensee. The cost of distribution transformer shall be paid by the colonizer to the licensee who will install these transformers based on requirement of load development of multi consumer complex/ housing colony.

8. Regulation 4.52 sub Regulation (vii) of the Second Amendment Regulation is substituted by the following:

4.52 (vii) If the load exceeds 3000 KW but not more than 5550 KW assessed as per Regulation 4.51, the applicant shall provide necessary land measuring not less than 40 x 30 meters and for load above 5550 KW up to 10000 KW land measuring not less than 50 x 40 meters at token premium of Re.1/- for construction of 33/11 KV substation by the licensee at it's own cost within or adjoining to the premises of the project area. The location of the substation shall be decided by the Engineer in-charge of the area in consultation with the applicant.

Provided that, if applicant provides less lands/room where only GIS substations /compact distribution transformer centre can be accommodated, then differential cost between conventional and GIS substations including allied equipment shall be fully borne by the developer/builder/applicant of such multi-consumer complex and there will not be any reimbursement. This will be subjected to easily accessibility for maintenance, fire and other safety standards compliance.

9. Regulation 4.53 of the Principal code is substituted by the following:

4.53 Underdeveloped/Declared illegal Colonies identified or certified by Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat

There are instances of cluster of plots or houses, developed and constructed, either fully or partly, by developer/builder for which necessary permissions/

sanctions from the State Government/local bodies/competent authorities under the appropriate laws and rules for colonies have not been obtained and extension of line work has not been started or completed. In such cases generally the individual buyer of plots /houses may apply for electricity connection. The connections may be served to such individual consumers on payment of certain cost towards meeting some expenses for external electrification.

Following procedure shall be adopted by the licensee for electrification of such area:

- i. On receipt of application(s) from consumer(s) of such areas, the licensee shall identify/confirm that such area is underdeveloped/Declared illegal Colony as identified or certified by Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat or local bodies.
- ii. Thereafter, the licensee shall assess the connected load and estimated cost of electrification on the basis of applicable Supply Code.
- iii. The cost of electrification (towards external electrification or extension of 33 KV or 11 KV line, transformers inside/outside the colony area, whichever is applicable) per kW based on above estimates shall be declared and published in Newspapers by the licensee for wide publicity. The charges towards electrification to be recovered from the consumers shall not exceed Rs. 5,000 per kW.
- iv. To start the electrification work in such colony, minimum 25% of the estimated cost as determined in para ii above, should be deposited. If this 25% is not met from charges levied to the consumer(s), the licensee may require applicant(s) to arrange funds from MP/ MLA/ Government of India/ CG Government/ Parshad Nidhi/ Panchayat fund/District Mineral Fund (DMF) or any other scheme to meet the shortfall upto 25%. Balance, 75% shall be contributed by licensee from Normal Development fund (ND fund) under Capital Investment Plan.
- v. The work shall be taken up departmentally by the Licensee for the area for which payment is made by the consumers.
- vi. The Distribution Licensee shall ensure that payment received from the consumers shall be used for their work only. This shall be monitored by an Officer not below the rank of Chief Engineer.
- vii. In case the consumer does not deposit the aforesaid amount in the Financial Year in which the estimate is sanctioned, the consumer shall be required to deposit additional 7% per annum or part thereof at the time of making application.
- viii. For subsequent connection in said colony, consumers shall have to pay Rs. 5000/- per kW.

10. Regulation 4.58, which was partly amended by Second Amendment Regulation is substituted by the following:

4.58 Schedule for completion of various activities relating to new connection and increase of load

The licensee shall process and give supply of electricity to various consumers within the time specified in the table below. For the purpose of this code urban area means area of Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Panchayat and other than urban area means rural area:

Sl. No.	Type of Service	Time Limit for Rendering the Service
1	Low Tension (LT) connection	
a)	Notice of inspection on receipt of complete application form	3 working days
b)	Inspection after sending notice Urban areas Rural areas	2 working days 5 working days
c) i)	Issue of demand note after inspection to the applicant for payment of estimated charges (if extension work is not required and the connection is to be given from the existing network) Urban areas Rural areas	5 working days 7 working days
ii)	Issue of demand note after inspection to the applicant for payment of estimated charges (if the extension work or enhancement of transformer capacity is required) Urban areas Rural areas	15 working days 22 working days
d)	Where no extension is required/after completion of extension work - Release of connection after payment of necessary charges, execution of agreement and submission of test report by the applicant after completion of extension work/ where no extension required, a) Normal Domestic Connection Urban area Rural area b) Other than Normal Domestic Connection Urban area Rural area	7 days 15 days 15 days 30 days
e)	Completion time for extension of work where extension /augmentation of distribution main is required. a) All connections excluding agriculture Urban area Rural area b) Agricultural connection when clear access to fields is available	90 days 120 days 90 days, provided full cost of extension is made

Sl. No.	Type of Service	Time Limit for Rendering the Service
	c) Agricultural connection during season when no clear access is available	180 days provided full cost of extension is made
2.	High Tension (HT) Connection	
	a) Informing feasibility after receipt of the application form	07 days
	b) Issue of demand note of estimated charges (after the date of issue of notice of feasibility)	30 days
	c) Completion time for extension of works after payment	90 days
	d) i) Issue of three months notice after completion of extension work by the licensee with installation of meter and metering equipment.	7 days
	ii) Release of load after completion of extension work by licensee and submission of clearance from Electrical Inspector by the applicant.	7 days
3.	Extra High Tension (EHT) Connection	
	a) Informing feasibility after receipt of the application form including connectivity consent required if any	30 days
	b) Issue of demand note of estimate charges after issue of notice of feasibility	60 days
	c) Completion time of extension work after payment.	180 days
	d) Serving of connection after payment necessary charges and execution of agreement by the applicant subject to receipt of clearance from Chief Electrical Inspector after completion of extension work	30 days

11. Regulation 5.52 of the Principal code is substituted by the following:

5.52 Every L.T. consumer, whose connected load includes induction motor(s) of capacity of 3 BHP and above, shall arrange to install low tension shunt capacitors of appropriate capacity at his cost, across the terminals of his motor(s). The recommended value of capacitor for direct application with terminal of induction motor of 1500 Revolution per minute (rpm) is shown in Annexure 11 as a general guideline. However, the consumer shall ensure that the capacitors installed by him are properly matched with the actual requirement of the motors so as to ensure average monthly power factor as specified by Commission in tariff order from time to time. Where the meters capable of recording power factor have been installed, the monthly power factor of connection shall be actual power factor recording, irrespective of the capacity of capacitors installed.

Provided that where meters installed are not capable of recording average monthly power factor of load, the capacitor of capacity indicated in Annexure 11 against the respective capacity of motor found in working condition will be considered in order.

- 12. In the Principal Code, clause 6.4 as previously substituted vide second amendment Code shall further be substituted, namely:**

6.4 For any new service connection, the licensee may take a security deposit which shall be calculated on the basis of contracted load/contract demand in HP/KW or KVA as the case may be as in the Supply agreement for various categories of consumers in the following manner:-

S. No.	Category	Assessed consumption in units per month (30 days) for calculation of Security Deposit
01	Domestic	i) 100 units per KW or part thereof ii) 25 units per 250 watts or part there of
02	Non domestic	i) 100 units per KW or part thereof ii) 25 units per 250 watts or part there of
03	Water work	150 units per KW or part thereof OR 110 units per HP or part thereof
04	LT Industrial	100 units per KW or part thereof OR 75 units per HP or part thereof
05	Agriculture	100 units per HP or part thereof
06	Street light	180 units per KW or part thereof
07	HT and EHT consumers	250 units per KVA or part thereof

- 13. In the Principal Code, clause 6.9 as previously substituted vide first amendment Code shall further be substituted, namely:**

6.9 An amount of security deposit taken from any consumer shall be reviewed by the licensee, on the basis of his annual consumption during the previous 12 months, in the month of October every year. Based on the review, the licensee shall fix the amount of security deposit equivalent to the average consumption, as per the applicable tariff for the period mentioned in clause 6.5 of this code. If the amount of security deposit held by the licensee varies (increase on decrease) on review by more than $\pm 10\%$ in case of LT and more than Rs. 10000/- in case of HT/EHT consumer than only necessary demand or refund will be done by the licensee.

- 14. Regulation 7.28 of the Principal code is substituted by the following:**

7.28 The following time schedule shall be observed for completing the works from the date of payment of charges:

- (1) Shifting of meter/service line: 7 days
- (2) Shifting of LT/HT lines: 60 days
- (3) Shifting of transformer: 60 days

- 15. Regulation 9.18 of the Principal code is substituted by the following:**

9.18 The assessed billing shall be as per actual MRI data wherever it is available and in other cases the assessed billing shall be for the period of 6 month including the month during which assessment is made or actual period when meter is considered not functioning properly whichever is less and to be continued till replacement of meter.

16. Regulation 10.2 of the Principal code is substituted by the following:

10.2 The licensee shall ensure adequate publicity of the addresses/ locations and working hours of the collection centres including those of banks where consumers can make payments. The payment methodology for various amounts shall be governed through tariff order for the relevant year.

17. Regulation 10.5 of the Principal code is deleted**18. New Regulations 11.12 (a) shall be added after Regulation 11.12 of the Principal Code:**

11.12(a) If 25% or less load is used for purpose other than for which connection is availed then proportionate billing may be done for the purpose used. The billing may be done as per clause 11.12.

By order of the Commission

Sd/-

(Surya Prakash Shukla)
Secretary.